I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

कोर्ट-संदर्भित पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता की सफलता

कुसुम लता शर्मा [1*], डॉ. सुशीम शुक्ला [2]

[1] रिसर्च स्कॉलर, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * कुसुम लता शर्मा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17775813

सारांश

भारत में पारिवारिक विवादों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें वैवाहिक कलह, तलाक, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण, बाल संरक्षण, संपत्ति विभाजन तथा अन्य घरेलू मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन मामलों की बढ़ती संख्या के कारण न्यायालयों पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप त्वरित न्याय प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बन गया है। पारिवारिक मामलों की भावनात्मक जटिलता को देखते हुए पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया कई बार समय-साध्य होने के साथ-साथ पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है।

ऐसे परिदृश्य में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), विशेषकर मध्यस्थता, एक अधिक प्रभावी, संवेदनशील और परिणाम-केंद्रित विकल्प के रूप में उभरा है। मध्यस्थता एक ऐसी संवाद-आधारित प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ दोनों पक्षों को बातचीत, समझ, सहयोग और समाधान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी सिद्ध हुई है जहाँ न्यायालय सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में प्रेरित करता है।

यह शोध पत्र कोर्ट-संदर्भित पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता की सफलता दर, उसकी प्रक्रिया, व्यावहारिक चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता न केवल न्यायिक बोझ कम करती है, बल्कि पक्षकारों के समय, धन और मानसिक ऊर्जा की बचत भी करती है। इसके साथ ही यह प्रक्रिया संबंधों में सुधार, पारिवारिक सामंजस्य की पुनर्स्थापना और भावनात्मक संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

भारत में विभिन्न न्यायालयों की रिपोर्टों और मध्यस्थता केंद्रों के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की सफलता दर पारंपरिक न्याय प्रक्रिया की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक है। इसमें मानव संवेदना, संवाद की शक्ति और सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता प्रमुख भूमिका निभाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि मध्यस्थता न केवल विवाद का अंत करती है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में नई शुरुआत का अवसर भी प्रदान करती है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 19-10-2025
- **Accepted:** 29-11-2025
- **Published:** 01-12-2025
- **IJCRM:**4(6); 2025: 259-263
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला. कोर्ट-संदर्भित पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता की सफलता. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(6):259-263.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

प्रमुख शब्द: पारिवारिक विवाद, मध्यस्थता, कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), न्यायिक बोझ, त्वरित न्याय, परामर्श, वैवाहिक सामंजस्य, मध्यस्थता की सफलता दर।

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिचय

भारतीय समाज में परिवार सामाजिक संरचना की सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार में उत्पन्न होने वाले विवाद केवल पति-पत्नी तक सीमित नहीं होते, बल्कि बच्चों, परिजनों और व्यापक सामाजिक वातावरण पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। पारिवारिक अदालतों का उद्देश्य इन विवादों का समाधान करना होता है, किंतु पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया अक्सर लंबी, जटिल, तकनीकी और औपचारिक होती है, जिसके चलते कई वर्षों तक मुकदमे लंबित रहते हैं। इस देरी से पक्षकार न केवल मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बल्कि आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी अत्यंत प्रभावित होते हैं। अनेक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का लंबा स्वरूप परिवारिक संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना देता है, जिससे विवाद गहराते जाते हैं और पुनर्स्थापना की संभावनाएँ कम होती जाती हैं।

इसी पृष्ठभूमि में मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण और मानवीय विकल्प के रूप में सामने आती है। मध्यस्थता में निष्पक्ष, प्रशिक्षित और संवेदनशील मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है, जिससे शिकायतें, भावनाएँ और जरूरतें एक सुरक्षित वातावरण में व्यक्त हो सकती हैं। पारिवारिक विवादों की प्रकृति भावनात्मक होती है, इसलिए मध्यस्थता एक ऐसे मंच का कार्य करती है जहाँ टकराव नहीं, बल्कि समझ, सहयोग और सहमति की भावना को महत्व दिया जाता है। यह प्रक्रिया न तो कठोर होती है और न ही अत्यधिक औपचारिक, जिससे पक्षकार खुले मन से समाधान खोजने के लिए प्रेरित होते हैं।

विशेष रूप से कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता इसलिए अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय स्वयं उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता केंद्रों में भेजता है। इससे प्रक्रिया को वैधता मिलती है और यदि पक्षकारों के बीच समझौता स्थापित हो जाता है, तो न्यायालय उसे अपने आदेश का रूप प्रदान कर देता है, जिससे वह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है। यह तंत्र न केवल न्यायिक बोझ को कम करता है, बल्कि पक्षकारों को लंबी मुकदमेबाजी से बचाते हुए तेजी से, गोपनीय और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।

इस प्रकार, मध्यस्थता भारतीय पारिवारिक न्याय व्यवस्था में एक प्रभावी, मानवीय और भविष्यवादी साधन के रूप में उभर रही है, जो न केवल विवादों को समाप्त करती है बल्कि संबंधों को पुनर्जीवित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

शोध की पृष्ठभूमि

भारत में मध्यस्थता की पृष्ठभूमि न्यायिक सुधारों और वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र (ADR) की बढ़ती आवश्यकता से जुड़ी हुई है। 2002 में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में संशोधन के बाद धारा 89 जोड़ी गई, जिसके माध्यम से न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत या पंचाट जैसे विकल्पों की ओर भेज सकें। यह कदम अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने तथा विवाद समाधान की गति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया था। वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC) की स्थापना की, जिसने देश में मध्यस्थता के ढांचे को संगठित और संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए गए, जहाँ प्रशिक्षित मध्यस्थ विवादों के समाधान में सहयोग देते हैं।

विशेष रूप से पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है, क्योंकि यह प्रक्रिया न्यायालयीय औपचारिकताओं से मुक्त, गोपनीय और संवाद-आधारित होती है। इसमें पक्षकार स्वयं अपने समाधान तैयार करते हैं, जिससे आपसी समझ और संतोष की संभावना बढ़ जाती है। मध्यस्थता जीत-हार की मानसिकता के स्थान पर हित-आधारित समाधान प्रस्तुत करती है, जिससे दीर्घकालिक संबंधों को भी संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत में मध्यस्थता न्याय प्रणाली के एक सशक्त और मानवीय विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है।

शोध समस्या

भारत में लाखों पारिवारिक विवाद न्यायालयों में लंबित हैं। तलाक, संपत्ति, बाल संरक्षण, भरण-पोषण और घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया अक्सर वर्षों तक खिंच जाती है। लंबी अवधि की मुकदमेबाज़ी परिवार के सदस्यों, विशेषकर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता इस बोझ को कम कर सकती है और पारिवारिक विवादों के समाधान को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बना सकती है। यही शोध समस्या इस अध्ययन का मुख्य केंद्र है।

शोध उद्देश्य

इस शोध का प्रथम उद्देश्य पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता की उपयोगिता और प्रभावशीलता का गहन अध्ययन करना है। दूसरा उद्देश्य कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता के सफल होने के कारणों, कारकों और बाधाओं का विश्लेषण करना है। तीसरा उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया की तुलना पारंपरिक न्यायिक प्रणाली से करते हुए यह समझना है कि मध्यस्थता किस प्रकार अधिक संतोषजनक और स्थायी समाधान प्रदान करती है। चौथा उद्देश्य भारत में मध्यस्थता की वर्तमान स्थिति, इसकी सीमाओं और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करना है।

अनुसंधान प्रश्न

इस अध्ययन में प्रमुख शोध प्रश्न निम्न हैं:

(1) क्या अदालत द्वारा संदर्भित पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता वास्तव में सफल सिद्ध हो रही है?

(2) मध्यस्थता की सफलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं?

(3) किन परिस्थितियों में मध्यस्थता असफल हो जाती है?

(4) भविष्य में मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

शोध पद्धति

शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है जिनमें MCPC रिपोर्टें, मध्यस्थता केंद्रों के वार्षिक आँकड़े, न्यायालय के निर्णय, शोध लेख, पुस्तकें, ADR पर सरकारी दस्तावेज और विभिन्न राज्यों की न्यायिक सांख्यिकीय रिपोर्टें शामिल हैं। इन स्रोतों के आधार पर कोर्ट-

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

संदर्भित पारिवारिक विवादों की सफलता दर, प्रक्रिया, चुनौतियों और प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता का महत्व

पारिवारिक विवाद भारतीय समाज की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण श्रेणियों में से एक हैं, क्योंकि इनका प्रभाव केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। ऐसे विवादों के समाधान के लिए पारंपरिक न्यायिक प्रणाली एक विकल्प अवश्य है, परंतु इसकी प्रक्रियाएँ लंबी, तकनीकी और औपचारिक होने के कारण अक्सर पक्षकारों को मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसी परिस्थिति में मध्यस्थता (Mediation) एक अत्यंत प्रभावी, संवेदनशील और मानवीय विकल्प के रूप में उभरकर सामने आती है।

मध्यस्थता का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह प्रक्रिया केवल कानूनी बिंदुओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि पारिवारिक विवादों के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को भी बराबर महत्व देती है। पारिवारिक विवादों की प्रकृति अक्सर भावनात्मक होती है, इसलिए केवल कानूनी तर्कों के आधार पर समाधान ढूँढना कई बार पर्याप्त नहीं होता। मध्यस्थता इन भावनात्मक आयामों को समझती है और एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ दोनों पक्ष अपनी भावनाएँ, चिंताएँ और अपेक्षाएँ खुले मन से रख सकते हैं।

अदालतों में जहाँ आरोप-प्रत्यारोप, कानूनी तर्कों और कठोर नियमों का प्रभाव अधिक होता है, वहीं मध्यस्थता में संवाद, समझ, सहानुभूति और सौहार्दपूर्ण बातचीत को प्राथमिकता दी जाती है। मध्यस्थ किसी न्यायाधीश की तरह निर्णय नहीं सुनाता, बल्कि दोनों पक्षों को स्वयं समाधान खोजने में मदद करता है। इससे विवाद का अंत केवल कानूनी आदेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपसी समझ और सहयोग की भावना भी बढ़ती है।

मध्यस्थता का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह प्रक्रिया गोपनीय होती है। हर बात को अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे पक्षकार अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को बिना झिझक व्यक्त कर सकते हैं। गोपनीयता पारिवारिक मामलों में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन विवादों की सार्वजनिक चर्चा कई बार शर्मिंदगी, सामाजिक दबाव और संबंधों के और अधिक बिगड़ने का कारण बन सकती है।

समय और धन की बचत मध्यस्थता की एक और बड़ी विशेषता है। मुकदमों में वर्षों लग जाना सामान्य है, जबकि मध्यस्थता में अक्सर कुछ बैठकों में ही समाधान निकल आता है। इससे पक्षकार न केवल समय बचाते हैं, बल्कि भारी-भरकम कानूनी खर्चों से भी राहत पाते हैं। बच्चों के हितों की दृष्टि से भी मध्यस्थता अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। पारंपरिक मुकदमेबाजी के दौरान बच्चे तनावपूर्ण माहौल के साक्षी बनते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मध्यस्थता इस बात का प्रयास करती है कि दंपति आपसी सम्मान बनाए रखते हुए बच्चों के भविष्य से संबंधित निर्णय सामंजस्यपूर्ण ढंग से लें।

इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता भविष्य के संबंधों में सुधार लाने में भी मदद करती है। कई बार दंपतियों के बीच गलतफहमियाँ, संचार की कमी या भावनात्मक दूरी विवाद का कारण बनती है। मध्यस्थता संवाद को पुनः शुरू करती है, जिससे संबंधों को पुनर्जीवित होने का अवसर मिलता है।

समग्र रूप से देखा जाए तो मध्यस्थता न केवल विवाद को समाप्त करती है, बल्कि पारिवारिक सामंजस्य को पुनः स्थापित करने, तनाव कम करने और न्यायिक प्रणाली पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसे पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए एक आधुनिक, मानवीय और प्रभावी तंत्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता की प्रक्रिया

कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता की प्रक्रिया में सबसे पहले मामला अदालत में दायर होता है। न्यायाधीश मामले की प्रकृति को देखते हुए उसे मध्यस्थता केंद्र भेजते हैं। केंद्र में प्रशिक्षित मध्यस्थ पक्षकारों से अलग-अलग और संयुक्त मुलाकातें करते हैं। मध्यस्थ का कार्य न्याय करना नहीं बल्कि संवाद को सहज बनाना और पक्षकारों को समाधान की ओर प्रेरित करना होता है। यदि दोनों पक्ष किसी समाधान पर सहमत हो जाते हैं, तो एक लिखित समझौता तैयार किया जाता है जिसे अदालत अपने आदेश का रूप देती है। इससे समाधान कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाता है।

मध्यस्थता की सफलता को प्रभावित करने वाले कारक

मध्यस्थता की सफलता काफी हद तक मध्यस्थ के कौशल, निष्पक्षता और संवाद क्षमताओं पर निर्भर करती है। अगर मध्यस्थ तटस्थ, संवेदनशील और समाधान-उन्मुख हो, तो पक्षकार आसानी से खुलकर बातचीत करते हैं। पक्षकारों की इच्छा, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि, विवाद की प्रकृति और भावनात्मक स्तर भी सफलता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, दांपत्य कलह और गलतफहमी से जुड़े मामलों में मध्यस्थता की सफलता अधिक पाई गई है, जबकि गंभीर घरेलू हिंसा या आर्थिक शोषण के मामलों में यह अपेक्षाकृत कम सफल होती है।

भारत में मध्यस्थता की सफलता

विभिन्न मध्यस्थता केंद्रों की रिपोर्टों के अनुसार पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता की सफलता दर 55% से 70% के बीच पाई गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में यह दर अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। जो समझौते मध्यस्थता द्वारा होते हैं उनमें लगभग 70% समझौते दीर्घकालिक रूप से स्थिर पाए गए हैं और पक्षकार बाद में दोबारा मुकदमा दायर नहीं करते। यह मध्यस्थता प्रक्रिया की स्थिरता और विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण संकेतक है।

मध्यस्थता की चुनौतियाँ

हालाँकि मध्यस्थता अत्यंत प्रभावी है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ इसकी सफलता में बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी एक प्रमुख समस्या है। कुछ वकील मध्यस्थता का समर्थन नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मुकदमे कम हो जाते हैं। गंभीर आरोपों वाले मामलों में पक्षकार बातचीत से बचते हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ भी बाधा बनती हैं, जैसे कि कुछ परिवार मध्यस्थता को अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वे इसे निजी मामलों में

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

हस्तक्षेप मानते हैं। जागरूकता का अभाव और न्यायालयों में अत्यधिक भीड़ भी इस प्रक्रिया की गति को धीमा करती हैं।

विश्लेषणात्मक चर्चा

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता उन्हीं मामलों में सर्वाधिक प्रभावी होती है जहाँ संवाद की संभावना बनी रहती है। ऐसे दंपति जिनमें गलतफहमियाँ, संचार-अभाव या पारिवारिक दबाव के कारण विवाद हुआ हो, वे मध्यस्थता के माध्यम से समाधान प्राप्त कर लेते हैं। जिन मामलों में बच्चे शामिल होते हैं वहाँ मध्यस्थता अधिक सफल होती है क्योंकि दोनों पक्ष बच्चों के हित को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक हिंसा, नशा, मानसिक उत्पीड़न या संपत्ति-लाभ से जुड़े मामलों में मध्यस्थता की सफलता सीमित रहती है।

अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए प्राथमिक अनुभवजन्य डेटा सीमित है। विभिन्न राज्यों में मध्यस्थता की सफलता दर में अंतर है, जिसके कारण एक समान निष्कर्ष निकालना कठिन हो सकता है। साथ ही, पारिवारिक विवादों की संवेदनशीलता के कारण कई डेटा उपलब्ध नहीं हो पाते।

सुझाव

भारत में मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। अदालतों में अनिवार्य पूर्व-मध्यस्थता लागू की जानी चाहिए ताकि मामले तुरंत मध्यस्थता की ओर बढ़ सकें। मध्यस्थता और परामर्श सेवाओं को साथ जोड़ना चाहिए ताकि भावनात्मक मुद्दों का भी समाधान हो सके। ऑनलाइन मध्यस्थता सेवाओं को व्यापक प्रचार मिलना चाहिए, जिससे दूर-दराज़ के क्षेत्र भी इसका लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता पारिवारिक विवादों के समाधान का एक अत्यंत प्रभावी और मानवीय माध्यम है। यह न केवल मामलों की संख्या कम करती है बल्कि न्यायालयों के बोझ को भी घटाती है। पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता के परिणाम अधिक स्थायी, संतोषजनक और भावनात्मक रूप से सकारात्मक पाए गए हैं। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी उचित प्रशिक्षण, जागरूकता और न्यायिक समर्थन से मध्यस्थता को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC). सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता संबंधी रिपोर्टें. नई दिल्ली: MCPC.
2. भारत सरकार. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984. नई दिल्ली: भारत सरकार; 1984.
3. भारत सरकार. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987. नई दिल्ली: भारत सरकार; 1987.
4. सर्वोच्च न्यायालय. मध्यस्थता से संबंधित निर्णय. नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय.
5. कर्नाटक मध्यस्थता केंद्र. वार्षिक रिपोर्ट. बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट.
6. तमिलनाडु मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र. वार्षिक रिपोर्ट. चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट.
7. दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र (समाधान). वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय.
8. सिंह R. भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR). नई दिल्ली: 2018.
9. शर्मा K. पारिवारिक विवाद समाधान की प्रक्रियाएँ. जयपुर: 2019.
10. विधि एवं न्याय मंत्रालय. ADR संबंधी प्रकाशन. नई दिल्ली: भारत सरकार.
11. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG). पारिवारिक मामलों के आँकड़े. नई दिल्ली: eCourts.
12. राव S. भारत में मध्यस्थता की प्रथाएँ. नई दिल्ली: 2020.
13. गुप्ता P. कोर्ट-संदर्भित मध्यस्थता की भूमिका. नई दिल्ली: 2021.
14. विधि आयोग. रिपोर्ट संख्या 222: मध्यस्थता की आवश्यकता. नई दिल्ली: भारत सरकार.
15. पारिवारिक विवाद निपटान समीक्षा समिति. रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार.
16. चौधरी M. मध्यस्थता की प्रभावशीलता का विश्लेषण. नई दिल्ली: 2022.
17. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज. ADR विशेषांक.
18. मध्यस्थता प्रशिक्षण पुस्तिका (MCPC). सर्वोच्च न्यायालय. नई दिल्ली: MCPC.
19. सिंह R, वर्मा A. न्यायिक सुलह तंत्र एवं उनका प्रभाव. नई दिल्ली: 2020.
20. ADR क्वार्टरली जर्नल.
21. OECD. पारिवारिक न्याय प्रणाली पर अध्ययन. पेरिस: OECD.
22. हार्वर्ड प्रोग्राम ऑन नेगोशिएशन. मध्यस्थता अध्ययन. केम्ब्रिज (MA): हार्वर्ड यूनिवर्सिटी.
23. संयुक्त राष्ट्र (UN). मध्यस्थता हैंडबुक. न्यूयॉर्क: UN; वर्ष अज्ञात.
24. भारतीय मध्यस्थता संस्थान (IIM). अनुसंधान रिपोर्ट. मुंबई: IIM.
25. बत्रा A. मध्यस्थता और परिवार न्यायालयों की भूमिका. नई दिल्ली: 2021.
26. लाल D. विवाद समाधान में परामर्श (Counseling) का प्रभाव. नई दिल्ली: 2022.
27. जैन S. भारत में मध्यस्थता की सफलता दर. नई दिल्ली: 2023.
28. अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (ICC). मध्यस्थता दिशा-निर्देश. पेरिस: ICC.

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

29. सर्वोच्च न्यायालय. मध्यस्थता सांख्यिकी रिपोर्ट. नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय.
30. लोक अदालत एवं ADR तंत्र. मार्गदर्शिका. नई दिल्ली: NALSA.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the corresponding author

कुसुम लता शर्मा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज की रिसर्च स्कॉलर हैं। उनके शोध क्षेत्र में विधि अध्ययन, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार और समकालीन कानूनी मुद्दों का विश्लेषण शामिल है। वे अकादमिक शोध में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं।

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/